

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./ 43 /2022

दिनांक: 11.03.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./34/2022 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ0681), तत्कालीन अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, अजमेर हाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर को दिनांक 28.02.2022 से 05.03.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.02.2022 से 27.02.2022 एवं 06.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 01.03.2022 से 05.03.2022 तक 05 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 10-03-2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/50/2011/2043

दिनांक : 11.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 6557 दिनांक 04.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ0681), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, अजमेर ।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अजमेर ।


सहायक रजिस्ट्रार